भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 304

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों द्वारा बीमा दावे

304. श्री राहुल कस्वां:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में जिलावार कितने किसानों ने फसल बीमा के दावों का लाभ उठाया है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान पीएम-एफबीवाई के माध्यम से फसलों का बीमा कराने वाले किसानों की राज्यवार संख्या और प्रतिशत कितना है;

(ग) समृद्ध और छोटे एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) के बीच बीमा कवरेज के अंतर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पीएम-एफबीवाई ने किसानों की आय सुरक्षा में वृद्धि की है;

(ङ) क्या एसएमएफ हेतु बीमा के लिए किसानों के प्रीमियम की हिस्सेदारी वहनीय है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या भारत में फसल बीमा का कवरेज सार्वभौमिक है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या विशिष्ट अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): राजस्थान में 2019 से 2024 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के अंतर्गत फसल बीमा का लाभ लेने वाले किसानों के आवेदन की जिलेवार विस्तृत जानकारी अनुबंध-1 में दी गई है।

(ख): पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत किसानों के आवेदनों की संख्या में 2022-23 और 2023-24 के दौरान क्रमशः 35.12% और 27.50% की वृद्धि हुई है, और योजना की शुरुआत के बाद से 2023-24 के दौरान यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 2019 से 2024 तक पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत किसानों के आवेदनों की राज्यवार संख्या अनुबंध-2 में दी गई है।

(ग) एवं (घ): सरकार प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण फसल के नुकसान से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक जोखिमों/आपदाओं, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों, कीटों और बीमारियों आदि के कारण फसल की उपज के नुकसान से किसानों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा दो प्रमुख फसल बीमा योजनाएं, पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस कार्यान्वित की जा रही हैं। पीएमएफबीवाई गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ बुवाई पूर्व से लेकर फसल-उपरांत नुकसान तक व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करता है, जबकि आरडब्ल्यूबीसीआईएस मौसम सूचकांक में विचलन के कारण संभावित फसल नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। पीएमएफबीवाई उन सभी किसानों के लिए उपलब्ध है जो योजना के प्रावधानों के अनुसार अपनी फसलों का बीमा कराते हैं। तथापि, यह योजना किसानों और राज्य सरकारों के लिए स्वैच्छिक है।

(ङ) एवं (च): कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बीमांकिक/बोली प्रीमियम दरें वसूली जाती हैं। पूरे देश में सीजन के लिए किसानों से बेहद कम प्रीमियम दर वसूली जाती है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2% , रबी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 5% है। इसके अलावा, भारत सरकार के विभिन्न हस्तक्षेपों के कारण, इस योजना के तहत प्रीमियम दरों में काफी कमी आई है, जिसके कारण महाराष्ट्र, ओडिशा, मेघालय, पुडुचेरी और झारखंड जैसे कुछ राज्य किसानों के हिस्से का प्रीमियम दे रहे हैं जबकि किसानों को केवल 1 रुपया देना होता है। यह योजना के सार्वभौमिकरण की दिशा में एक कदम है। पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) को छोड़कर, जहां इसे 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है, बीमांकिक प्रीमियम का शेष हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है।

अनुबंध -1

राजस्थान में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक फसल बीमा के दावे प्राप्त करने वाले किसान आवेदनों का जिलेवार विवरण

ज़िला	किसान आवेदन जिन्हें पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत दावे का भुगतान किया गया (सं.)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अजमेर	48,010	39,445	76,561	89,315	1,03,912
अलवर	67,758	15,747	2,514	37,585	2,168
बांसवाड़ा	35,285	4,555	13,139	12,569	9,356
बरन	41,628	38,537	59,655	20,786	9,395
बाड़मेर	1,17,845	1,43,193	5,30,202	1,52,481	3,57,456
भरतपुर	43,607	6,761	15,133	47,278	4,203
भीलवाड़ा	87,585	1,03,159	1,40,420	95,872	1,05,947
बीकानेर	1,10,911	2,11,203	2,67,995	1,01,439	67,632
बूंदी	59,231	72,508	70,729	44,193	9,587
चितौड़गढ़	1,22,597	56,774	1,24,936		
चित्तौड़गढ़				1,29,059	1,38,887
चुरू	2,57,302	2,91,895	2,64,576	3,56,924	38,244
दौसा	15,527	12,532	90	7,836	2,955
धौलपुर	3,349	66	961		
धौलपुर				1,518	254
डूंगरपुर	18,978	14,536	16,862	25,021	9,715
हनुमानगढ़	1,77,117	2,31,777	2,50,335	2,18,984	94,632
जयपुर	50,220	50,166	50,589	76,582	1,02,835
जैसलमेर	51,375	65,289	40,355	31,220	35,188
जालोर	1,08,491	1,27,656	3,37,612		
जालौर				2,09,275	72,150
झालावाड़	1,16,138	1,35,414	1,17,951	88,815	21,217
झुंझुनू	1,24,499	99,426	1,86,095	1,92,809	76,186
जोधपुर	82,488	81,992	2,55,539	1,51,266	2,05,358
करौली	5,830	3,642	6,652	2,516	137
कोटा	54,449	16,234	59,719	44,217	5,734
नागौर	91,844	63,827	1,51,289	1,00,352	1,06,183
पाली	47,864	36,536	1,26,373	25,778	76,189
प्रतापगढ़	38,186	27,624	25,578	23,205	22,994
राजसमंद	10,060	6,526	1,367	6,131	1,649
सवाई माधोपुर	36,337	16,183	24,010	35,526	21,775
सीकर	85,866	57,567	74,066	1,94,480	1,30,719
सिरोही	5,133	3,350	25,001	2,220	8,082
श्रीगंगानगर	86,501	92,744	1,01,704	53,902	53,188
टोंक	65,336	57,600	33,272	1,10,177	6,540
उदयपुर	30,276	29,439	42,055	38,748	5,785
कुल	22,97,623	22,13,903	34,93,335	27,28,079	19,06,252

अनुबंध -2

2019-20 से 2023-24 तक पीएमएफबीवाई /आरडब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत बीमित किसान आवेदनों का राज्यवार विवरण

राज्य	संख्या				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	99	339	535	173	187
आंध्र प्रदेश	27,88,373			1,25,63,699	1,29,01,749
असम	10,06,212	16,60,076	9,96,027	4,89,983	7,95,553
छत्तीसगढ	40,17,118	51,58,351	58,38,755	77,30,260	81,24,956
गोवा	886	84	64	403	234
गुजरात	24,80,726				
हरियाणा	17,10,601	16,50,558	14,52,842	14,46,631	1,01,74,480
हिमाचल प्रदेश	2,84,009	2,40,727	2,33,725	2,67,643	2,78,051
जम्मू और कश्मीर			90,834	91,582	2,45,630
झारखंड	10,92,116				
कर्नाटक	19,45,207	15,87,801	19,17,808	26,84,781	30,15,023
केरल	58,135	76,317	98,510	1,46,546	1,74,141
मध्य प्रदेश	83,97,265	84,52,044	92,64,216	1,77,32,045	1,77,95,819
महाराष्ट्र	1,45,66,294	1,24,06,368	99,02,582	1,07,33,909	2,41,85,161
मणिपुर	3,256	-	2,807	4,066	5,073
मेघालय	607	130		337	38,569
ओडिशा	48,79,301	97,52,474	81,73,856	80,20,763	1,40,97,157
पुदुचेरी	12,014	10,980	35,818	38,384	42,224
राजस्थान	86,16,616	1,07,59,591	3,44,70,735	3,90,96,690	3,89,87,544
सिक्किम	21	85	2,422	5,025	3,104
तमिलनाडु	38,93,787	58,87,474	59,11,015	61,43,139	54,55,753
तेलंगाना	10,34,223				
त्रिपुरा	36,382	2,57,236	3,35,514	3,56,201	3,73,362
उत्तर प्रदेश	46,97,567	41,90,508	40,68,679	42,83,804	60,25,293
उत्तराखंड	2,12,675	1,70,812	1,82,762	2,82,068	2,26,809
कुल	6,17,33,490	6,22,61,955	8,29,79,506	11,21,18,132	14,29,45,872

*****